न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

II/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा./2017/4979 पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सिंगरौली

अरविन्द कुमार दुवे पुत्र श्री रामकेत ब्राहम्ण निवासी – ग्राम देवरी तहसील व जिला – सिंगरौली (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

...... अनावेदक

आज दि. 8.12.17 को ... क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दि. 12-1-18

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत खुटार तहसील सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ–3/01–02 में पारित आदेश दिनांक 15.11.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, नायब तहसीलदार प्रभारी अधिकारी तहसील सिंगरौली के समक्ष आवेदक अरविन्द कुमार की ओर से एक आवेदन पत्र धारा 73 (3) म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत इस आशय से प्रस्तुत किया। कि ग्राम देवरी में स्थित आराजी नं. 430/2 रकवा 0.08 है0 का नक्शा मौके के अनुसार तरमीम किया जाये।

2 यहकि, आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार प्रभारी तहसील सिंगरौली द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ–3/01–02 पंजीबद्ध कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट मंगाये जाने का आदेश दिया गया। जिसके आधार पर पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसमें मौके पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही की गयी का उल्लेख किया गया और स्थल पंचनामा सूचना पत्र संलग्न कर प्रतिवेदन नायब तहसीलदार तहसील सिंगरौली को दिया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में विधिवत् जांच की जाकर का आदेश दिनांक 04.05.2002 से नक्शा तरमीम की कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न हैं)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(37)

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निग/सिंग/प्र.सं./17/49779 — अरविन्द/शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार खुटार खुटार के प्रकरण क्रमांक 28/अ-3/01-02 में पारित आदेश दिनांक 15-11-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला-सिंगरोली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला-सिंगरोली के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	